उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2024

240

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.....सन् 2024)

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लियेः–

विधेयक

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986) (संशोधन) अधिनियम, 2024 है। (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
धारा 2 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा (2) में खण्ड (ख) में उप खण्ड (पन्द्रह) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थातः– "(सोलह) साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध; (सत्रह) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता; (अठ्ठारह) वाणिज्यिक शोषण, बन्धुआ श्रम बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना; (उन्नीस) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध; (बीस) जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना; (इक्कीस) नकली दवाओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना;

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(बाईस) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला–बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना; (तेईस) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिये वध करना, उत्पादों की तस्करी करना; (चौबीस) आमोद तथा पणकर अधिनियम,1979 के अधीन दण्डनीय अपराध; (पच्चीस) राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना; (छब्बीस) पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय अपराध; (सत्ताईस) उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के अधीन दण्डनीय अपराध; (अट्ठाईस) चिट फंड अधिनियम, 1982 के अधीन दण्डनीय अपराध; (उनतीस) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 के अधीन दण्डनीय अपराध; (तीस) उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण; (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 के अधीन दण्डनीय अपराध; (इकतीस) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन दण्डनीय अपराध; (बत्तीस) उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा(भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के अधीन दण्डनीय अपराध।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

शैलेश बगौली
सचिव।

242

विधायी ज्ञापन

1– प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986) संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्य मंत्री

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

243

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986) संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय सन्निहित नहीं है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्य मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

344

खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986) संशोधन मात्र है।

2– विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ की व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

3– विधेयक के खण्ड 2 में धारा (2) में खण्ड (ख) में उपखण्ड (पन्द्रह) के पश्चात् नये खण्ड (सोलह) से खण्ड (बत्तीस) तक के अंतःस्थापन हेतु व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

245

Statement of Objects and Reasons

Uttarakhand (Uttar Pradesh Gangs and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986), the purpose of the offences punishable under various Acts (Amendment) Bill, 2024 is to include the offences punishable under various Acts in the original Act to maintain law and order in the State.

2. The proposed Bill fulfills the above objective.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Financial Memorandum

The proposed Bill is merely an amendment to the Uttarakhand (Uttar Pradesh Gangsters and Anti Social activities (Prevention) Act, 1986 (Amendment) Bill, 2024.

2. The proposed Bill does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the consolidated fund of the State.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Memorandum of Section Wise Details

The proposed Bill is merely an amendment to the Uttarakhand (Uttar Pradesh Gangs and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986).

2. It is proposed to provide for the provision of short name and commencement in clause 1 of the Bill.

3. In Section (2) of clause (2) of the Bill, new clause after sub-class(fifteen) in clause (b), it is proposed to provide for insertion of clause (sixteen) to clauses (thirty two).

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

248

Legislative Memorandum

The proposed Bill is merely an amendment to the Uttarakhand (Uttar Pradesh Gangs and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986).

2. Only general delegation of legislative power is contained in the proposed Bill.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Gangsters and Anti Social activities (Prevention) Act, 1986 (Amendment) Bill, 2024

[Uttarakhand Bill No. 2024]
A
Bill

further to amend the Uttar Pradesh Gangsters and Anti Social activities (Prevention) Act, 1986 (as applicable in the State of Uttarakhand) in the context of State of Uttarakhand;

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the seventy fifth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement 1 (1) This Act may be called the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Gangsters and Anti Social activities (Prevention) Act, 1986) (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 2 2 In Section 2 of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti Social activities (Prevention) Act, 1986 in clause (b) after Sub clause (xv) the following Sub clauses shall be inserted, namely:-

"(xvi) offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(xvii) illegally transporting and/or smuggling of Cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xviii) human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities;

(xix) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966;

(xx) printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes;

(xxi) involving in production, sale and distribution of spurious drugs;

(xxii) involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of Sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959

(xxiii) felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and the Wild Life Protection Act, 1972;

(xxiv) offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979;

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

12

2§0

(xxv) indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life;

(xxvi) offences punishable under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xxvii) offences punishable under the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007;

(xxviii) offences punishable under the Chit Fund Act, 1982;

(xxix) offences punishable under the Banning of Unregulated Deposit Schemes, Act 2019;

(xxx) offences punishable under the Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2005;

(xxxi) offences punishable under the Information and Technology Act, 2000;

(xxxii offences punishable under the Uttarakhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023."

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा